



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/SER-2162/DL/22/2025-RU-IV

दिनांक : 01.10.2025

सेवा में

श्री बिजेन्द्र सिंह मीणा,
Turner/Mechanist -1,
G.TPS Mech Workshop,
Indra Prastha Power Generation Ltd.,
Pragathi Power Corporation Ltd.,
Near Indraprastha Metro Station, IP Depot.
Ring Road, New Delhi - 110 002
Mobile No:9013837085

विषय: इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड में न्याय दिलाने के संबंध में -

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **09.10.2025 समय 15:30 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय
र.प. यादव

यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
✓ NIC for uploading